

Uttar Pradesh Housing and Development Board
List of Residential Properties of Meerut zone for e-auction dated 30.09.2025

Sr.No.	Auction ID	Zone Name	city	Yojna/apartment name	Property No.	Property Type	Area of Property (Sqm.)	FAR	Reserve Price	Property Cost	Token Amount	Reservation Category	Rera Reg. No. if Applicable
1	50508	Meerut	MEERUT	Sch. No-11,(Jagriti Vihar-Ext.)	5/250	MIG (MIG)	75.00	As per norms	5481815.00	5481815.00	274091.00	Other Backward Class (Employees of Government Services & Defense Services, who have completed age of 50 years)	N/A
2	50509	Meerut	Meerut	Sch. No-11,(Jagriti Vihar-Ext.)	5/283	MIG (MIG)	76.50	N/A	5373137.00	5373137.00	268700.00	Unreserved	N/A
3	50510	Meerut	MEERUT	Sch. No-11,(Jagriti Vihar-Ext.)	3/216	Plot	264.50	As per norms	72840.00	19266180.00	963309.00	Unreserved	N/A
4	50511	Meerut	MEERUT	Sch. No-11,(Jagriti Vihar-Ext.)	3/97 (corner)	Plot	156.00	As per norms	52924.00	8256144.00	412807.00	Scheduled Caste (MP, MLA, FF)	N/A
5	50512	Meerut	MEERUT	Sch. No-11,(Jagriti Vihar-Ext.)	3/131	Plot	300.65	As per norms	57100.00	17167115.00	858356.00	Unreserved (Employees of Government Services & Defense Services, who have completed age of 50 years)	N/A
6	50513	Meerut	MEERUT	Sch. No-11,(Jagriti Vihar-Ext.)	5/56	Plot	231.60	As per norms	60150.00	13930740.00	696537.00	Unreserved	N/A
7	49590	Meerut	Bulandshahr	Yojna-1	885	LIG	60.59	-	-	2195611	109781	GENERAL	N/A
8	49591	Meerut	Bulandshahr	Yojna-1	887	LIG	92.90	-	-	3407003	170350	GENERAL	N/A
9	49592	Meerut	Bulandshahr	Yojna-1	888	LIG	60.59	-	-	2195611	109781	GENERAL	N/A
10	49593	Meerut	Bulandshahr	Yojna-1	889	LIG	60.59	-	-	2195611	109781	GENERAL	N/A
11	49594	Meerut	Bulandshahr	Yojna-1	2A/54/6	Plot	121.61	-	29120	3541283	177064	GENERAL	N/A
12	49595	Meerut	Bulandshahr	Yojna-2	66/2	Plot	345.28	-	24740	8542227	427111	GENERAL	N/A
13	49596	Meerut	Bulandshahr	Yojna-2	1/319	Plot	312.81	-	24640	7707638	385382	GENERAL	N/A
14	49597	Meerut	Bulandshahr	Khurja	4/268	LIG	61.67	-	-	2854048	142702	GENERAL	N/A
15	49598	Meerut	Bulandshahr	Khurja	2/461/3	LIG	78.78	-	-	1992391	99620	GENERAL	N/A
16	49599	Meerut	Bulandshahr	Khurja	3/84	LIG	61.88	-	-	1930440	96522	GENERAL	N/A
17	49600	Meerut	Bulandshahr	Khurja	3/404	LIG	62.43	-	-	1944048	97202	GENERAL	N/A

नोट:

- क्रमांक 3 पर अंकित सम्पत्ति मा0 उच्च न्यायालय के रिट संख्या-18997 / 2020 के अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
- क्रमांक 4 पर अंकित सम्पत्ति मा0 उच्च न्यायालय के रिट संख्या-15331 / 2025 पिंटू पुत्र श्री ओमपाल एवं 17275 / 2025 पिंटू पुत्र श्री ओमपाल के अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

मा० न्यायालय में विचारित प्रकरण तथा अन्य अपरिहार्य कारणों से प्रस्तावित सम्पत्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती हैं।
आरक्षित श्रेणी की सम्पत्तियों हेतु आवेदकों द्वारा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र भी ई-नीलामी पोर्टल पर "Other Document" में अपलोड किया जाना होगा।
यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित श्रेणी की सम्पत्ति के विरुद्ध बोली में प्रतिभाग किया जाता है और बाद में यह पाया जाता है कि सम्बन्धित बोलीदाता उस आरक्षण श्रेणी का नहीं है तो अपूर्ण/अवैध आवेदन मानते हुए समस्त टोकन धनराशि जब्त कर ली जाएगी, बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा।
ई-नीलामी में प्रस्तावित सम्पत्तियों का विवरण परिषद की वेबसाइट एवं ई-नीलामी पोर्टल उपलब्ध हैं। रेरा में पंजीकृत प्रोजेक्ट्स से सम्बन्धित सम्पत्तियों के सम्मुख रेरा पंजीकरण संख्या का उल्लेख किया गया है।
परिषद की समस्त प्रकार की सम्पत्तियां "जहां है जैसे है" के आधार पर निस्तारित की जाएंगी।
समस्त प्रकार की आवासीय/अनावासीय भूखण्डों पर भौतिक कब्जा प्राप्ति के 05 वर्ष के अन्दर मानचित्र स्वीकृत कराते हुए निर्माण कार्य पूर्ण करना होगा। ससमय निर्माण पूर्ण न किए जाने की दशा में नियमानुसार अनिर्माण शुल्क/समयवृद्धि शुल्क देय होगा।
परिषद की समस्त प्रकार की आवासीय/अनावासीय/शैक्षणिक सम्पत्तियां परिषद की सम्पत्ति निस्तारण की विनियमावली-2016 में प्राविधानित व्यवस्था के अधीन निस्तारित की जाएंगी।
यदि किसी सम्पत्ति के विरुद्ध एकल बोली प्राप्त होती है तो मा० परिषद की 268वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या-268/20 पर अनुमोदित प्रस्ताव के अधीन निर्णय लिया जाएगा।
आवेदक अथवा उसका परिवार एक नगर में परिषद से केवल एक ही आवासीय सम्पत्ति (एकल भवन/भूखण्ड) के आवंटन हेतु पात्र होगा।
आवेदक या उसके परिवार के पास उस नगर में जहाँ आवासीय सम्पत्ति (एकल भवन/भूखण्ड) क्रय करने के लिए पंजीकरण करना है, उस नगरीय क्षेत्र में उसकी या उसके परिवार की परिषद द्वारा आवंटित कोई सम्पत्ति न हो तथा उ0प्र0 के अन्य किसी नगर अथवा शहरीय क्षेत्र में परिषद की एक से अधिक सम्पत्ति न हो।